भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केंद्र, कफ़ परेड, मुंबई - 400 005

ई-नीलामी टेंडर दस्तावेज़

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित / प्रवर्तन अधिनियम 2002)

(ऑनलाइन बिक्री के लिए बिड आवेदन तथा नियम एवं शर्तें)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल,
हैदराबाद - 500 004

ई-नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें

ऑनलाइन बिक्री के लिए बिड आवेदन फॉर्म, घोषणा पत्र तथा सामान्य नियम एवं शर्तें 30 अक्तूबर, 2017 को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया तथा मातृभाषा (तेलुगु) अखबार आंध्रा ज्योति में प्रकाशित बिक्री नोटिस का हिस्सा हैं।

1. **बिक्री के अंतर्गत प्रतिभूतित (सिक्योर्ड) आस्ति का संक्षिप्त विवरणः**

I. **क. उधारकर्ता का विवरणः** मेसर्स श्रीसटेक क्लीनिकल रिसर्च सॉल्यूशन्स लिमिटेड, डी एल एफ साइबर सिटी, ब्लॉक 3, 8वीं मंज़िल, गाचीबावली, हैदराबाद - 500019, तेलंगना

ख. गारंटर(रों) का विवरणः श्री एम.एस.बी. चलपती राव, प्लॉट नं. 10, शिल्पा हिल्स लेआउट, खानामेट, हिटेक्स रोड, माधापुर हैदराबाद - 525081, तेलंगना

II. **संपत्ति का विवरणः आरक्षित मूल्य, बयाना राशि, संपत्ति जो गैरंटर की संपत्ति हैः**

	क्रम सं.	**संपत्ति का विवरण**	**प्लॉट नं.**	**क्षेत्र**	**आरक्षित मूल्य**	**ई. एम. डी. ***
	लॉट नं. 1					
	1	बी – ब्लॉक, सर्वे नं. 679 "रिचमेन्स सिटी", मेकागुडा ग्रामपंचायत, नंदीगांव रेवेन्यू विलेज, कोथुर मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश (अभी का तेलंगना), स्थित खाली प्लॉट जिसकी चौहदी निम्नानुसार हैः उत्तर : प्लॉट नं. 57 दक्षिण : प्लॉट नं. 55 पूर्व : 33 फिट चौडा रोड	56	200 वर्ग गज	रुपये 2.55 लाख	रुपये 0.26 लाख

		पश्चिम : प्लॉट नं. 52				
	2	बी – ब्लॉक, सर्वे नं. 679 “रिचमेन्स सिटी”, मेकागुडा ग्रामपंचायत, नंदीगांव रेवेन्यू विलेज, कोथुर मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश (अभी का तेलंगना), स्थित खाली प्लॉट जिसकी चौहदी निम्नानुसार है: उत्तर: 40 फिट चौडा रोड दक्षिण: प्लॉट नं. 12 पूर्व: 33 फिट चौडा रोड पश्चिम: प्लॉट नं. 1 एवं 2	14	311 वर्ग गज	रुपये 3.96 लाख	रुपये 0.40 लाख
	3	बी – ब्लॉक, सर्वे नं. 679 “रिचमेन्स सिटी”, मेकागुडा ग्रामपंचायत, नंदीगांव रेवेन्यू विलेज, कोथुर मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश (अभी का तेलंगना), स्थित खाली प्लॉट जिसकी चौहदी निम्नानुसार है: उत्तर : प्लॉट नं. 06 दक्षिण : सर्वे नं 679 के प्लॉट का भाग पूर्व : सर्वे नं 679 के प्लॉट का भाग पश्चिम: मेका गुडा ग्रामपंचायत का रास्ता	7	522 वर्ग गज	रुपये 6.66 लाख	रुपये 0.67 लाख
			8	455 वर्ग गज	रुपये 5.80 लाख	रुपये 0.58 लाख
			9	490 वर्ग गज	रुपये 6.25 लाख	रुपये 0.63 लाख
	लॉट नं. 2					
		बी – ब्लॉक, सर्वे नं. 680/ईई, ए, ई, एए, “रिचमेन्स सिटी”, मेकागुडा ग्रामपंचायत, नंदीगांव रेवेन्यू विलेज, कोथुर मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश (तेलंगना), स्थित, खाली प्लॉट जिसकी चौहदी निम्नानुसार है:	23	200 वर्ग गज	` 2.55 लाख	` 0.26 लाख
			24	200 वर्ग गज	` 2.55 लाख	` 0.26 लाख
		प्लॉट सं. 23, 24, 32 एवं 33 की चहार दिवारी प्लॉट सं. 31 की चहार दिवारी	31	200 वर्ग गज	` 2.55 लाख	` 0.26 लाख

		उत्तर : 40 फीट चौडा रोड दक्षिण : प्लॉट नं 25 एवं 31 पूर्व : 33 फीट चौड रोड पश्चिम : 33 फीट चौडा रोड	उत्तर : प्लॉट नं 32 दक्षिण : प्लॉट नं 30 पूर्व : 33 फीट चौडा रोड पश्चिम : प्लॉट नं 25	32	200 वर्ग गज	` 2.55 लाख	` 0.26 लाख
				33	200 वर्ग गज	` 2.55 लाख	` 0.26 लाख

* नोटः बोली कर्ता एक से ज्यादा संपत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु उन्हें प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग बीड जमा करना होगा, जो बोलीकर्ता पूरे लॉट के लिए आवेदन करते हैं उन्हें एकल/एक से ज्यादा संपत्तियों पर बोली लगाने वालों से प्राथमिकता दी जाएगी।

III. **संपत्ति पर ऋणभारः** हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार, बैंक या प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान में नहीं है।

IV. **बकाया राशिः** `3,99,69, 381.72 (तीन करोड़ निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार तीन सौ इक्कासी और बहतर पैसे मात्र) तथा 23 जून 2015 से लागू ब्याज और निर्धारित हर्जाना + अन्य खर्च।

18 अक्तूबर, 2017 तक बकाया राशि (उधारकर्ता और बैंक के गारंटर द्वारा लिया गया सिक्योर्ड उधार) `4,79,54, 850.44 रुपये (केवल चार करोड़ उनासी लाख चौवन हजार आठ सौ पचास और चवालिस पैसै) है।

V. **संपत्ति के लिए आरक्षित कीमतः** ऊपर तालिकाओं में दिए गए अनुसार

ई-नीलामी का विवरण

VI. **ई-नीलामी वेबसाइटः** https://eximbank.auctiontiger.net

VII. **नीलामी की तारीखः** 11 दिसंबर, 2017

VIII. **नीलामी का समयः लॉट सं. 1:** 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच **लॉट सं. 2:** 4.00 बजे से 5.00 बजे के बीच प्रत्येक बोली पर 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ

IX. **जमानत राशि जमा कराने का माध्यमः**

क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पक्ष में एक्सिस बैंक, जीडी सोमानी शाखा, कफ़ परेड, मुंबई में खाता संख्या 911020014367479 में एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए, आईएफएससी कोडः UTIB0000447; अथवा

ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई, 21वीं मंज़िल, केंद्र-1 भवन, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400005 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर देय;

उपरोक्त अनुसार बोलीकर्ता किसी संपत्ति के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं

X. **जमानत राशि (ईएमडी) के साथ बिड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीखः** 24 नवंबर, 2017, सुबह 10.00 बजे से

XI. **जमानत राशि के साथ बिड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:** 4 दिसंबर, 2017 को शाम 6.00 बजे तक

XII. **संपत्ति और उसके टाइटल डीड के निरीक्षण की तारीख और समयः**
तालिका में निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्ति और टाइटल डीड का निरीक्षण बैंक को पूर्व सूचना के आधार पर [17 नवंबर, 2017 एवं 24 नवंबर, 2017 से सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक]

XIII. **बिड गुणकः** रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)

XIV. सिक्योर्ड आस्ति की बिक्री 'जहां है', 'जैसा है', 'जो है', 'जैसा है' के रूप में और दायित्व रहित आधार पर सिक्योर्ड ऋणदाता / बैंक यानी एक्ज़िम बैंक की ओर से दी जाएगी।

क. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई ऋणभार (इन्कमब्रेंस), लियन, चार्ज, सांविधिक बकाया आदि नहीं है। ई-नीलामी का विज्ञापन बैंक द्वारा या बैंक की ओर से कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता नहीं है और इसे कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व समझा भी न जाए।

ख. संपत्ति की बिक्री सभी मौजूदा तथा भविष्य के इन्कमब्रेंस, भले ही वे बैंक के संज्ञान में हों या न हों, के साथ ही की जा रही है। किसी भी थर्ड पार्टी दावे/अधिकार/बकाया के लिए प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।

XV. संपत्ति के निरीक्षण के संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए इच्छुक बोलीकर्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, फोन नंबर +914023307816-21 अथवा श्री बी. रमेश बाबू, फोन नंबर +914023379060 / मोबाइल नंबर 09830041141, से कार्यालय समय सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

XVI. इच्छुक बोलीकर्ता:

क. बोलीकर्ता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए।

ख. बोलीकर्ता को ईएमडी जमा कराने का प्रमाण जैसे यूटीआर नंबर और ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

ग. ई-नीलामी संबंधी सामान्य नियम एवं शर्तों में उल्लिखित अनुसार केवायसी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ (i) वैध ईमेल आईडी और (ii) बोलीकर्ता से संपर्क के लिए फोन नंबर, एक्ज़िम बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद-500 004 पर प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी प्राधिकृत अधिकारी को ई-मेल के जरिए भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राधिकृत

अधिकारी का
ई-मेल आईडी हैः ramesh.b@eximbankindia.in

घ. बोलीकर्ता ई-नीलामी के लिए मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, अहमदाबाद से स्वयं के खर्च पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी ले सकते हैं।

XVII. वैध डिजिटल हस्ताक्षर और वैध ई-मेल पते पर अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां संपर्क कीजिएः

मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड – ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद

(फोन नंबरः 079-40230 841/844/813/814/815/816/820)
संपर्क अधिकारीः श्री तिलक मराठा, मोबाइल नंबर 09067799646,
ईमेलः tilak@auctiontiger.net, श्री विजय शेट्टी, मोबाइल नंबर 09619002431,
ईमेलः vijay.shetty@auctiontiger.net.

XVIII. संपत्ति और टेंडर दस्तावेज का विवरण और प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म एक्ज़िम बैंक, गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, खैराताबाद सर्कल, हैदराबाद-500 004 से, सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालय समय सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। टेंडर फॉर्म हमारी वेबसाइट www.eximbankindia.in से डाउनलोड और प्रिंट भी किए जा सकते हैं। टेलीफोन नं. 914023307816- 21/23379060

XIX. ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए योग्य बोलीकर्ताओं की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी और उन्हें उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

XX. बोलीकर्ता कृपया यह नोट करें कि प्रत्येक ग्यारह संपतियों के लिए अलग ईएमडी देनी होगी और ई-नीलामी नोटिस और टेंडर दस्तवाजों में दिए गए अनुसार बोलीकर्ताओं को इसके लिए प्रत्येक ग्यारह बीड के लिए अलग-अलग बीड देनी होगी। ई-नीलामी नोटिस और टेंडर दस्तावाजों में दिए गए अनुसार 11 संपत्तियों में से प्रत्येक संपत्ति अलग मानी जाएगी और अलग-अलग बेची जाएगी।

XXI. विफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी लौटा दी जाएगी। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीकर्ता को बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें ईएमडी शामिल नहीं होगी। यह राशि भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के पक्ष में भारतीय निर्यात-आयात बैंक, 21वीं मंज़िल, केंद्र-1 भवन, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400005 को देय डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के जरिए अथवा भारतीय निर्यात-आयात बैंक के एक्सिस बैंक, जीडी सोमानी शाखा, कफ़ परेड, मुंबई में खाता संख्या 911020014367479 के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए, आईएफएससी कोडः UTIB0000447 जमा की जा सकती है। यह राशि बिक्री की उसके/उनके पक्ष में पुष्टि होने के तुरंत बाद जमा करानी होगी और बाकी राशि नीलामी बिक्री की पुष्टि से 15 दिन के भीतर या दोनों पार्टियों के बीच लिखित में बनी सहमति के आधार पर विस्तारित अवधि के भीतर जमा करानी होगी। बिक्री मूल्य की पूरी कीमत निर्धारित समय में अदा करने में विफल रहने पर टेंडर मूल्य की 25%

राशि की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति पर सभी दावों को भी जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी।

XXII. प्राधिकृत अधिकारी को मामलेवार आधार पर बिना कोई कारण बताए बोली स्वीकार करने या खारिज करने या ई-नीलामी/बिक्री को स्थगित करने या रद्द करने का पूरा अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम ऑफर को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए नीलामी प्रक्रिया से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को हटा सकता है। ऐसी स्थिति में सभी ऑफर खारिज हो जाते हैं।

XXIII. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन होती है। यदि उधारकर्ता/गारंटर बिक्री से पहले ही बैंक को पूरा भुगतान कर देता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।

XXIV. बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीकर्ता/खरीदार के नाम पर ही जारी किया जाएगा।

XXV. सफल और उच्चतम बोली राशि की शेष और अंतिम 75% राशि का भुगतान करते समय सफल बोलीकर्ता/खरीदार कुल बिक्री राशि/उच्चतम सफल बिड पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 1% (एक प्रतिशत) की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) कर लेगा और इसे बैंक के ट्रेजरी खाते में जमा करवाकर बैंक द्वारा बोलीकर्ता/खरीदार को बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने पर या उससे पहले बैंक को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा

194-1 ए के अनुसार 50,00,000 रुपए (पचास लाख रुपए) से अधिक राशि की बिक्री पर 1% की दर से टीडीएस कटौती लागू होगी। सफल बोलीकर्ता/खरीदार बिक्री मूल्य से 1% टीडीएस कटौती कर आयकर विभाग को फॉर्म नं.16-बी में भरकर जमा करेगा, जिसमें विक्रेता के रूप में बैंक का नाम और पैन नंबर AAACE2769D होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति बैंक को प्रस्तुत करेगा।

2. ऑनलाइन बिक्री का स्वरूप एवं उद्देश्य

क. इस ऑनलाइन बिक्री का उद्देश्य पारदर्शी एवं पक्षपात रहित तरीके से उपरोक्त संपत्ति की बिक्री सुनिश्चित करते हुए जनता के धन की यथासंभव अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना है।

ख. यह ई-नीलामी वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर नियंत्रित है।

3. बोलीकर्ताओं को चेतावनी

क. संपत्ति की बिक्री 'जहां है,जैसा है,जो है, जैसा है' के रूप में और दायित्व रहित आधार पर की जाएगी।

ख. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले संबंधित एसआरओ तथा राजस्व रिकार्डों- संपत्ति के टाइटल, स्वरूप संबंधी विवरण सहित उसकी दशा, इनकम्ब्रेंस, लियन प्रभार, संपत्ति पर सांविधिक बकाया राशि आदि की पूरी जांच कर लें।

ग. बोलीकर्ताओं को बिक्री हेतु प्रस्तावित इस संपत्ति के लिए बिड तैयार करने या प्रॉपर्टी के संबंध में सम्यक जांच, उसके टाइटल की जांच पड़ताल अथवा अन्य किसी मद में आने वाले किसी भी प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

घ. बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने तथा ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में ऋण लेने से पहले टेंडर दस्तावेज में दिए गए सभी नियम एवं शर्तों सहित अखबारों में प्रकाशित ई-बिक्री नोटिस में दिए गए सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

ङ. सफल उच्च बोलीकर्ता /क्रेता को सरकार/स्थानीय निकाय को देय सांविधिक बकायों/दायित्वों का भुगतान करना होगा भले ही इनका उल्लेख टेंडर दस्तावेज या बिक्री नोटिस में न किया गया हो।

च. आखिरी क्षणों में टेंडर भरते समय बोलीकर्ताओं को कई बार टाइमलैग, हैवी ट्रैफिक तथा सिस्टम फेल्योर अथवा पॉवर फेल्योर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे बोली भरने के लिए आखिरी क्षणों का इंतजार न करें और समय से पूर्व टेंडर भर दें।

4. संपत्ति का निरीक्षण

क. संपत्ति का निरीक्षण ई-नीलामी / सार्वजनिक बिक्री नोटिस / टेंडर दस्तावेज में दी गई तारीखों पर किया जा सकेगा।

ख. बोलीकर्ताओं को संपत्ति का निरीक्षण कर उसके स्वरूप उसकी स्थिति, विस्तार आदि की भलीभांति जानकारी कर लेनी चाहिए और संतुष्ट हो जाना चाहिए।

ग. निरीक्षण के उपरान्त यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो इसे संपत्ति की नीलामी से पहले ही प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ध्यान में लाना चाहिए।

5. टाइटल डीड का निरीक्षण

क. बोलीकर्ता ई-नीलामी नोटिस में दी गई तारीख और समय पर बैंक के पास जमा संपत्ति के टाइटल डीड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं।

6. तकनीकी नियम एवं शर्तें

क. बोलीकर्ताओं के पास वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए।

ख. बोलीकर्ताओं को 'ऑनलाइन' सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत होना चाहिए।

ग. बिड फार्म के सत्यापन और जमानत राशि (ईएमडी) राशि के प्राप्त होने की पुष्टि के बाद ही ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा दी गई यूजर आईडी को सक्रिय किया जाएगा और तभी बोलीकर्ता सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर बिड कर सकेगा।

घ. गोपनीयता बनाए रखने के लिए बिडर को अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए और न ही बिड से संबंधित अन्य जानकारी शेयर करनी चाहिए।

ङ. बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से प्राप्त पासवर्ड को तत्काल बदल लें।

7. बिड फार्मों का प्रस्तुतीकरण

क. टेंडर दस्तावेज में दिए गए निर्धारित प्रारूप में बिड http://eximbank.auctiontiger.net पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जा सकेंगी। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई बिड को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें खारिज कर दिया जाएगा।

ख. बोलियां ई-नीलामी नोटिस/टेंडर दस्तावेज में दिए गए समय और तारीख से पहले प्रस्तुत हो जानी चाहिए।

ग. बिड फार्म विधिवत भरा होना चाहिए तथा उसमें सभी जरूरी सूचनाएं दी जानी चाहिए। अपूर्ण/अहस्ताक्षरित बिड फार्मों तथा जमानत की राशि के विवरण के बिना प्राप्त बिड फार्मों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ. बिड फार्म के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। केवल पैनकार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा किसी सरकारी या पीएसयू संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र को ही वैध पहचान पत्र माना जाएगा। बिड फार्म के साथ प्रस्तुत पहचान पत्र की मूल प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। केवायसी दस्तावेजों की अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे क्रम सं. 22 पर दी गई सूची देखें।

8. जमानत राशि (ईएमडी)

क. बोली के साथ टेंडर दस्तावेज / ई-नीलामी नोटिस में दिए गए अनुसार जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

ख. जमानत राशि और अन्य राशियां भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पक्ष में एक्सिस बैंक, जीडी सोमानी शाखा, कफ़ परेड, मुंबई में खाता संख्या 911020014367479 एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए, आईएफएससी कोडः UTIB0000447 जमा की जा सकती है। अथवा ई-नीलामी / टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के पक्ष में भारतीय निर्यात-आयात बैंक, 21वीं मंज़िल, केंद्र-1 भवन, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005 को देय डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के जरिए जमा की जा सकती है।

ग. बोलीकर्ताओं को अपने रेमिटेंस का विवरण जैसे ईएमडी, यूटीआर कोड आदि गोपनीय रखने चाहिए।

घ. बोलीकर्ताओं को रेमिटेंस *चालान* अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए और बैंक द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना चाहिए।

ङ. ईएमडी से संबंधित सभी विवरण बिड फार्म में दिए जाने चाहिए।

च. चूक (डिफॉल्ट) की स्थिति में जमानत राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जब्त कर ली जाएगी।

9. बिड गुणक

क. बिड इंक्रीमेंट/गुणक रुपये 10, 000/- (दस हजार रुपये) का होगा।

ख. बोलीकर्ता अपनी बोली को ई-नीलामी नोटिस में दी गई राशि के गुणक के अनुसार बढ़ा सकते हैं।

10. नीलामी बिक्री की अवधि

क. ई-नीलामी सूचना / टेंडर दस्तावेज में दिए गए समय पर ऑनलाइन नीलामी शुरू हो जाएगी।

ख. ई-नीलामी की अवधि एक घंटे की होगी और यह बिडिंग प्रक्रिया स्वतः प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए तब तक बढ़ाई जाती रहेगी जब तक कि बिक्री पूरी न हो जाए।

ग. यदि कोई सबसे बड़ी बोली (उस समय की बोली से बड़ी) नीलामी समय की समाप्ति के अंतिम 5 मिनट के अंदर प्राप्त होती है तो बोली समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाएगा और यदि इस समय में पिछली बोली से कोई बड़ी बोली प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी उसी अंतिम 5 मिनट की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार बिड समय में इस पांच मिनट की अवधि का स्वतः विस्तार तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि प्रकिया पूरी न हो जाए।

घ. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां पांच मिनट की इस अवधि को ध्यान में रखकर लगाएं।

ङ. अतः बिडिंग समय के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत को नहीं सुना जाएगा।

11. ऑनलाइन बोली

क. नीलामी/बोली केवल सेवा प्रदाता के पोर्टल से ऑनलाइन ही की जा सकेगी।

ख. ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी बोलियों को कानूनी बोली माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे संबंधित व्यक्ति द्वारा ही भेजी गई हैं।

ग. किसी भी परिस्थिति में बोली एक बार प्रस्तुत करने के बाद न तो कम की जा सकेगी और न ही वापस ली जा सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

घ. सबसे बड़ी और सबसे अंतिम बोली के आने के बाद पहले की सभी बोलियां स्वतः निरस्त हो जाएंगी। हालांकि सिर्फ बोली प्रस्तुत कर देने से ही सबसे बड़े बोलीकर्ता को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि उसकी बोली को स्वीकार ही कर लिया जाएगा।

ङ. बोलीकर्ता अपनी बोली के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और इससे उत्पन्न किसी भी विवाद (गलत बोली करने सहित) के लिए बैंक किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं सुनेगा। इसलिए बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी अंतिम बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी राशि आदि के संबंध में पहले स्वयं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, तभी बिड करें।

च. एकल बोलीकर्ता के मामले में बिक्री स्थगित कर दी जाएगी और संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी अथवा बिक्री को स्थगित और निरस्त कर दिया जाए।

छ. बोलीकर्ताओं को बोली लगाने से पहले इसकी राशि आदि की विधिवत जांच कर लेनी चाहिए और पुष्टि करने से पहले यदि कुछ बदलाव करने हैं तो उन्हें कर लेना चाहिए।

ज. गलत बिडिंग के मामले में बिक्री निरस्त कर दी जाएगी। इस निर्णय के बारे में कोई भी निवेदन / शिकायत नहीं सुनी जाएगी और पूरी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

12. प्रतिस्पर्धी बोली

क. यदि रिज़र्व मूल्य से अधिक किंतु एक ही मूल्य की दो बोलियां प्राप्त होती हैं तो बैंक को दोनों बोलियों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली लगाने का अधिकार होगा। प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी बोली को स्वीकारने अथवा एक या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही बैंक को किसी भी एक निविदाकर्ता के साथ सौदा करने या किसी अन्य पार्टी को संपत्ति बेचने या फिर से नए टेंडर आमंत्रित करने का भी पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में एक्ज़िम बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। प्राधिकृत अधिकारी को शीर्ष तीन बोलीकर्ताओं की जमानत राशि

को बिना किसी ब्याज के बिड की तारीख से दो महीने तक रिटेन करने का अधिकार है। इस प्रकार की बोलियां नीलामी तारीख से दो महीने तक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई किसी अन्य समय सीमा तक वैध रहेंगी। अन्य बोलीकर्ताओं की जमानत राशि नीलामी की तारीख से दो महीने तक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई किसी अन्य समय सीमा तक वैध रहेगी। अन्य बोलीकर्ताओं की जमानत राशि नीलामी की तारीख से 15 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी। यदि सफल बोलीकर्ता द्वारा बिक्री राशि का भुगतान करने में कोई चूक की जाती है जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दूसरे नंबर के बोलीकर्ता को संपत्ति बेच दी जाएगी।

13. सफल बोलीकर्ता की घोषणा

क. सबसे बड़ी बोली लगाने वाले बिडर को सफल घोषित किया जाएगा तथा उसे संपत्ति की बिक्री की जाएगी। नीलामी में सफल बोलीकर्ता को इसकी सूचना ई-मेल के जरिए दी जाएगी। ई-मेल भेजने की तारीख को ही सूचना की तारीख माना जाएगा।

ख. यदि उन्हें सूचना नहीं मिलती है तो बोलीकर्ताओं को बैंक से संपर्क कर स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। सूचना प्राप्त न होने संबंधी कारण को भुगतान में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा जिसका स्पष्ट उल्लेख 13 (क) में नीचे किया गया है।

14. <u>बिक्री मूल्य का भुगतान</u>

क. सफल बोलीकर्ता की घोषणा होने के तुरंत बाद सफल बोलीकर्ता को अधिकतम बिक्री मूल्य की 25% राशि (जमानत राशि घटाकर) जमा करनी होगी।

ख. यदि नीलामी बिक्री का ट्रांजैक्शन बैंकिंग समय के बाद होता है तो सफल बोलीकर्ता को बोली की 25% राशि (पहले ही भुगतान कर दी गई जमानत राशि घटाकर) अगले कार्यदिवस को 3.00 बजे तक जमा करनी होगी।

ग. बोली की शेष राशि भारतीय निर्यात-आयात बैंक के खाता सं. 911020014367479 एक्सिस बैंक, जीडी सोमानी शाखा, कफ़ परेड, मुंबई, आईएफएससी UTIB000447 के जरिए या ई-नीलामी/टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार मुंबई पर देय डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बिक्री 15 दिन के अंदर अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशिष्ट कारणोंवश द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर जमा करनी होगी।

15. भुगतान में चूक

क. शर्त 13 में दिए गए अनुसार सफल बोली की घोषणा के तुरंत बाद बोलीकर्ता को बिक्री राशि की 25% राशि (जमानत राशि घटकार) जमा करनी होगी तथा शेष 75% राशि को निर्धारित अवधि में भुगतान करना होगा। इस भुगतान में चूक होने पर पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और ऐसे मामलों में प्राधिकृत अधिकारी अगली बड़ी बोली लगाने वाले को संपत्ति की बिक्री कर देगा।

ख. इस स्थिति में पहले सफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई जमानत राशि तथा अन्य राशियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

16. बिक्री प्रमाणपत्र/स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान

क. नीलामी की पूरी खरीद राशि /बोली राशि के भुगतान के बाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र बिड फार्म में उल्लिखित बिडर के नाम/नामों पर ही जारी किया जाएगा।

ख. बोली फार्म में दिए गए नाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन / प्रतिस्थापन/ जुड़ाव संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. बिक्री पुष्टि पत्र/ बिक्री प्रमाणपत्र स्वयं बोलकर्ता को या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही दिया जाएगा।

घ. ब्रिकी प्रमाणपत्र के लिए स्टैम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान प्रचलित कानूनों के अनुरूप बोलीकर्ता / क्रेता को वहन करना होगा।

ङ. बिक्री आदेश जारी करने के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय / डीआरटी/डीआरएटी अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा जारी आदेशों/स्थगन आदेश / अध्यादेश / अवरोधक आदेश के लंबित रहने की स्थिति में बिक्री आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

च. सफल बोलीकर्ता को बिक्री आदेश जारी न किए जाने की स्थिति में जमा की गई धन राशि को गैर ब्याज राशि के रूप में रखा जाएगा तथा इसे पूर्ण या आंशिक रूप से लौटाने अथवा बिक्री को निरस्त करने संबंधी किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. जमानत राशि लौटाना

क. असफल बोलीकर्ताओं की जमाराशि को बिड फार्म में दिए गए उनके बैंक खातों की एनईएफटी/ आरटीजीएस के जरिए लौटाया जाएगा। तथापि प्राधिकृत हस्ताक्षरी को शीर्ष बोलीकर्ताओं की जमानत राशि को दो महीने तक अपने पास रखने का अधिकार होगा।

ख. असफल बोलीकर्ताओं को अपनी जमानत राशि की वापसी का ट्रैक रखना होगा और यदि वह उन्हें समय पर प्राप्त नहीं होता है तो प्राधिकृत हस्ताक्षरी को तत्काल संपर्क करना होगा।

18. स्थगन / बिक्री का निरस्तीकरण

क. किसी उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) / ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) द्वारी जारी आदेश के लंबित रहने की स्थिति में बोली को स्थगित या निरस्त कर दिया जाएगा। इस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया में भाग ले रहे प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार के हर्जाने या क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा।

ख. बिक्री मूल्य की 25% राशि अथवा शेष बिक्री मूल्य के भुगतान में चूक करने या निर्धारित अवधि में जमा न करने पर बिक्री निरस्त कर दी जाएगी।

19. टाइटल डीड की सुपुर्दगी

बैंक के पास मॉर्टगेज के लिए जमा संपत्ति के टाइटल डीड और अन्य दस्तावेज सफल बोलीकर्ता/खरीददार को बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही सौंपे जाएंगे।

20. कब्जा देना

क. संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के संबंध में आए सभी प्रासंगिक खर्चों प्रक्रियात्मक खर्चों को सफल बोलीकर्ता / खरीददार द्वारा वहन किया जाएगा।

ख. बैंक / प्राधिकृत अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के चलते यदि खरीददार को संपत्ति की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार की हानि या दायित्व के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

ग. एक्ज़िम बैंक यदि किन्हीं अन्य आकस्मिक कारणों के चलते उल्लिखित समय के भीतर सफल बोलीकर्ता / खरीददार को संपत्ति की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है तो एक्ज़िम बैंक द्वारा इस संबंध में बोलीकर्ता को बिना कोई कारण बताए समुचित समयावधि विस्तार दिया जाएगा और इस अवधि के दौरान बोलीकर्ता / खरीददार को कोई किराया नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में बोलीकर्ता विलंब के लिए किसी क्षतिपूर्ति/दावे के लिए पात्र नहीं होगा।

21. सामान्य

क. प्राधिकृत अधिकारी को मामले की विशेषता के आधार पर शर्तों में अपेक्षित बदलाव / संशोधन अथवा परिवर्धन व हटाने का अधिकार होगा।

ख. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या एक या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकर करने अथवा बिक्री को स्थगित करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।

ग. यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता ने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ व समझ लिए हैं और वह उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

घ. बोलीकर्ता/सफल खरीददार द्वारा दिए गए किसी भी काउंटर ऑफर या उसके द्वारा लगाई गई शर्त को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. प्रशिक्षण

क. जिन बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है और उन्होंने उसके लिए स्पष्ट उल्लेख किया है उनके लिए सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित दस्तावेज में उल्लेख किए गए अनुसार डेमो/मॉक ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा।

ख. इस डेमो / मॉक ऑक्शन प्रक्रिया में केवल वही बोलीकर्ता भाग ले सकते है जिन्होंने ऑक्शन के लिए पंजीकृत किया है और घोषणा पत्र फार्म भरा है।

ग. वास्तविक नीलामी के समय कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

अनुसूची[1] (ई-नीलामी के लिए केवायसी दस्तावेज़)

नोटः *किसी भी वाद/परिवाद की स्थिति में इस दस्तावेज के अंग्रेजी वर्जन को ही प्रामाणिक माना जाएगा।*

अनुसूची[1] (ई-नीलामी के लिए के बाद दस्तावेज)

क्रम सं.	विवरण
व्यक्तियों के लिए	
1	पैन कार्ड
2	पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/ एनआरईजीए कार्ड एवं आधार कार्ड
3	बिजली बिल या राज्यों के अन्य उपयोगिता बिल
सोल प्रोप्राइटरशिप	
1	पैन कार्ड
2	पंजीकरण प्रमाणपत्र
3	सीएसटी/वैट/लाइसेंस या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र
4	बिजली बिल या राज्यों के अन्य उपयोगिता बिल
भागीदारी फर्म	
1	पैन कार्ड
2	पंजीकरण प्रमाणपत्र
3	भागीदारी विलेख तथा / इसके अतिरिक्त संशोधन / परिशिष्ट
4	कंपनी के किसी पार्टनर को उसकी ओर से संपत्ति खरीदने के अधिकार संबंधी
5.	पार्टनर के लिए जिसे मुख्तारनामा दिया गया हो उससे संबंधित क्रम सं. क में दिए गए दस्तावेज
कंपनियों के लिए	
1	पैन कार्ड
2	पंजीकरण का प्रमाणपत्र
3	संस्था के अंतर नियम तथा बर्हिनियम
4	बोर्ड संकल्प / मुख्तारनामा जिसमें कंपनी ओर से संपत्ती खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया हो
5.	कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित क्रम सं. **क** के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज़
कंपनी	
1	पैन कार्ड
2	निगमीकरण प्रमाणपत्र
3	सीआईएन
4	संस्था के अंतर नियम तथा बर्हिनियम
5	बोर्ड संकल्प / मुख्तारनामा जिसमें कंपनी ओर से संपत्ती खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया हो
6	कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित क्रम सं. **क** के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज़
7	फॉर्म 32
8	सार्वजिनक क्षेत्र के कंपनियों के लिए, प्रारंभिक प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
सीमित दायित्व भागीदारी	
1	पैन कार्ड
2	एलएलपी करार
3	निगमीकरण दस्तावेज और प्राधिकृत भागीदारों का डीपिन
4	पंजीकरण का प्रमाणपत्र जो संबंधित आरओसी द्वारा दिया गया हो
5.	एलएलपी- इनः आरओसी द्वारा जारी
6	संकल्प / संपत्ति खरीदने संबंधी मुख्तारनामा
7	उपर्युक्त क्रम सं. क के अंतर्गत भागीदारी के विवरण
ट्रस्ट /संस्था /सोसायटी	
1	पैन कार्ड
2	पंजीकरण का प्रमाणपत्र
3	संकल्प /संपत्ति खरीदने के लिए मुख्तारनामा
4	ट्रस्ट का घोषणा पत्र /सोसायटी की नियमावली / संपत्ति खरीदने का अधिकार
5	संपत्ति खरीदने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित उपर्युक्त क्रम सं. क के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेज

हिंदू अविभक्त परिवार	
1	पैन कार्ड
2	संपत्ति खरीदने के लिए हिंदू अविभक्त परिवार का घोषणा पत्र
3	हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता से संबंधित उपर्युक्त क्रम सं. क के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेज

नोट: स्वप्रमाणित फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी

-----x-----

[1] कृपया नोट करें कि उक्त केवायसी सूची सामान्य और व्यापक है

घोषणा पत्र

दिनांक :

सेवा में
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
21 वीं मंज़िल, केंद्र एक भवन,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005

मैं/हम निविदाकर्ता एतदद्वारा यह सूचित करते हैं कि मैंने/हमने बिक्री के लिए सार्वजनिक नोटिस और टेंडर दस्तावेज़ की सारी शर्तों को पूरी तरह पढ़ और समझ लिया है।

मैं / हम पुनः यह घोषित करते हैं कि मैं / हम ऊपर उल्लिखित संपत्ति को एक्ज़िम बैंक से खरीदने के इच्छुक हैं और इसका इस्तेमाल अपने उपभोग/व्यवसाय के लिए करूंगा / करेंगे / मेरे / हमारे द्वारा टेंडर दस्तावेज़ में दी गई जानकारी मेरे पूरे ज्ञान और विश्वास के साथ सत्य और सही है। मैं / हम यह समझता हूँ / समझते हैं और इस बात से सहमत हैं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना / तथ्य असत्य / गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और मेरे द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और एक्ज़िम बैंक द्वारा किसी भी समय मुझे दिया गया प्रस्ताव समाप्त कर दिया जाएगा। मैं / हम इस बात के लिए की सहमत होता हूँ / होते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा इस अचल संपत्ति को खरीदने संबंधी टेंडर प्रस्ताव एक बार प्रस्तुत कर देने और एक्ज़िम बैंक द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद यदि मैं / हम उस प्रस्ताव की शर्तों के अनुपालन में चूक करते हैं या किन्हीं कारणोंवश प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित समयावधि के अंदर अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं या टेंडर अथवा ऑफर पत्र में उल्लिखित किसी एक अथवा सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मेरे द्वारा दी गई जमानत राशि अथवा टेंडर प्रस्तुत करते समय या बाद में जमा की गई अन्य कोई राशि एक्ज़िम बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा यदि एक्ज़िम बैंक चाहे तो मेरे/हमारे विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट की विशिष्ट शर्तों को पूरा न कर पाने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं/हम यह भी समझते हैं और यह घोषित करते हैं कि प्रत्येक मामले में एक्ज़िम बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझ पर/हम पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि नीलामी के समय घोषित अतिरिक्त नियम एवं शर्तो जिसमें बिक्री प्रस्ताव के संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन / परिवर्द्धन या लोपन शामिल हो सकता है, को भी हम मानने के लिए बाध्य होंगे।

(मेसर्स ____________)
निविदाकर्ता का डिजिटल हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम : ______________________
पता (कार्यालय) : ______________________
(आवास) : ______________________
दूरभाष सं. (कार्यालय) : ______________________
(आवास) : ______________________
फैक्स नं. : ______________________
ई-मेल पता : ______________________
मोबाइल नं. : ______________________

विशेष सूचना : कंपनियों के मामले में उक्त सूचनाएं प्रमुख अधिकारी के संदर्भ में दी जानी चाहिए।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
21 वीं मंज़िल, केंद्र एक भवन,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005

ई-नीलामी बिड फॉर्म

(बिड फॉर्म भरने और प्रस्तुत करने से पहले नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

क्र.	**बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) का नाम (1)**	**पिता / पति का नाम (2)**	**बोलीकर्ता का डाक का पता यदि बोलीकर्ता कंपनी है तो रजिस्टर्ड कार्यालय का पता (3)**	**फोन/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (4)**
क.				
ख.				
ग.				
घ.				

ङ	**जमानत राशि रिफंड के लिए बैंक खाता विवरण** **i. बैंक खाता संख्या** **ii. आईएफएससी कोड** **iii. शाखा का नाम**	
च.	**बोली प्रस्तुत करने की तारीख**	
छ.	**पैन नंबर**	
ज.	**संपत्ति/आस्ति मद संख्या, जिसके संदर्भ में बोली प्रस्तुत की गई है[2]**	
झ.	**क्या जमानत राशि रेमिट कर दी गई है**	**हां / नहीं**
ञ.	**जमानत राशि विवरण*** **i. रेमिटैंस की तारीख** **ii. बैंक का नाम** **iii. शाखा** **iv. खाता संख्या** **v. आईएफएससी कोड** **vi. यूटीआर नंबर**	

मैं घोषणा करता हूं कि मैंने ई-नीलामी के सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर समझ ली हैं और मैं उन्हें मानने का वचन देता हूं।

(बोलीकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर)

*अनिवार्य: बोलीकर्ताओं को जमानत राशि रेमिटैंस चालान सुरक्षित रखना होगा और मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

[2] एक से अधिक संपत्तियों की नीलामी के मामले में